श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश

518, न्यू मोती बंगला, एम.जी. रोड, इंदौर–452 007
दूरभाष : 0731–2432822, फैक्स : 0731– 2536600
ई–मेल : lcmpestt@mp.gov.in वेबसाईट : http://labour.mp.gov.in

इन्दौर दिनांक 19/07/18

आदेश

क्रमांक 491 /18 श्रमायुक्त संगठन के अंतर्गत निम्न तालिका के कॉलम (2) में अंकित जिलों/कार्यालयों में श्रम पदाधिकारी पदस्थ नहीं होने के फलस्वरूप प्रशासकीय कार्यसुविधा की दृष्टि से इन कार्यालयों का अतिरिक्त प्रभार तथा म.प्र.कोषालय संहिता भाग-एक के पूरक नियम 125 के तहत आहरण संवितरण के अधिकार तालिका के कॉलम (3) में अंकित अधिकारी को आगामी आदेश तक अथवा जिले में श्रम पदाधिकारी की पदस्थापना होने तक (जो भी पहले हो) अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से तत्काल प्रभाव से सौपा जाता है :-

क्र.	जिला/कार्यालय, जहां श्रम पदा. पदस्थ नहीं है	प्रभारी अधिकारी का नाम, पदनाम
(1)	(2)	(3)
1	श्रम पदाधिकारी कार्यालय, कटनी	श्री जे.एस.उद्दे, सहायक श्रमायुक्त, जबलपुर
2	श्रम पदाधिकारी कार्यालय, अलिराजपुर	श्री के.एस.मुझाल्दा, श्रम पदाधिकारी, बडवानी
3	श्रम पदाधिकारी कार्यालय, झाबुआ	श्री डी.एल.सूर्यवंशी, श्रम पदाधिकारी, धार

2/ कॉलम-3 में अंकित प्रभारी अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर से समन्वय स्थापित करते हुए, विभिन्न श्रम अधिनियमों/ नियमों के अंतर्गत राजपत्रित श्रेणी के अधिकारी को प्रदत्त प्राधिकृत श्रेणी के अधिकारों संबंधी समस्त कार्य समयसीमा में निराकृत करना सुनिश्चित करेंगें।

3/ जिला श्रम कार्यालय का नियमित चालू कार्य, कार्यालय में पदस्थ सहायक श्रम पदाधिकारी/ वरिष्ठतम श्रम निरीक्षक देखेंगे तथा ऐसे प्रकरण जिनमें कार्यवाही हेतु राजपत्रित अधिकारी (सहायक श्रमायुक्त/ श्रम पदाधिकारी) प्राधिकृत अधिकारी है, ऐसी सभी नस्तियां यथासमय प्रभारी अधिकारी के संज्ञान में लाना सुनिश्चित करेंगें।

(राजेश बहुगुणा)
श्रमायुक्त
मध्य प्रदेश, इन्दौर

क्रमांक बफा/प्रथम/विविधि/2017/ 834-53 (2) इंदौर, दिनांक 19-7-18

प्रतिलिपि -

1- प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2- कलेक्टर, जिला कटनी, अलिराजपुर, झाबुआ, धार, बडवानी, जबलपुर।
3- सहायक श्रमायुक्त/ श्रम पदाधिकारी, जबलपुर, कटनी, अलिराजपुर, झाबुआ, धार, बडवानी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4- संबंधित अधिकारी श्री .... की ओर पालनार्थ प्रेषित।
5- कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय कटनी, अलिराजपुर, झाबुआ ।
6- समस्त शाखा प्रभारी, मुख्यालय, इंदौर की ओर सूचनार्थ।
7- आदेश पत्रिका/ व्यक्तिगत प्रकरण पत्रिका में संकलनार्थ।

श्रमायुक्त
मध्य प्रदेश, इन्दौर